

पांचू राम बनाम राजस्थान सरकार

पत्र संख्या: 359 / 2024

| 5 | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|------|--|-------------|
| 2024 | <p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाबत प्रार्थी की कृषक हिरसा भूमि की जमाबन्दी में प्रार्थी के नाम का सही अंकन करवाने बाबत पेश किया।</p> <p>बहस प्रार्थी प्रार्थना पत्र पर सुना गया। बहस प्रार्थी एवं पत्रावली में संलग्न दरतावेजात का अवलोकन करने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 रवीकार किया जाता है। तहसीलदार सांगानेर को प्रार्थी की वाके ग्राम तेजावाला, पटवार हल्का कपूरावाला तह0 सांगानेर में स्थित खाता संख्या 24, 31, 40, 44, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 90, 91, 92, 104, 137, 189 में प्रार्थी का नाम पांच्या पुत्र चन्दा एवं पांचू पुत्र चन्दा के स्थान पर शुद्ध व सही नाम पांचूराम शर्मा पुत्र चन्दा लाल शुद्ध करने के आदेश दिये जाते हैं।</p> <p>पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 04.12.2024 को सुनाया गया।</p> <p>(हिम्मत सिंह) आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी जयपुर-द्वितीय (सांगानेर), जयपुर</p> | |